लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 22/ 2023
GCMS NO. : 2023/84

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री शरद पंड्या कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 04–01–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **श्री शरद पंड्या** की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई जिसके अनुसार अपीलार्थी **श्री शरद पंड्या** को अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक **12–10–2023** द्वारा वांछित सूचना **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन** से निर्धारित समय में उपलब्ध नही होने से यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 06–12–2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 22–12–2023, 04.01.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन** ने उनके पत्रांक एफ 8 ( ) रीडर/ सूचना का अधिकार/2023 /542 दिनांक 21–12–2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12–10–2023 दिनांक

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.08 18:27:41 IST
Reason: SelfAttested

18–12–2023 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को नियमानुसार राशि जमा कराये जाने पत्र क्रमांक 510 दिनांक 20–12–2023 से सूचित किया गया है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 12–10–2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक एफ 8 ( ) रीडर/ सूचना का अधिकार/2023 /542 दिनांक 21–12–2023 से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 12–10–2023 दिनांक 18–12–2023 को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2023 की दिनांक 18.12.2023 को कार्यालय मे मार्क की गई प्रति संलग्न की गई है। प्रश्नगत आवेदन पर पत्रांक पत्रांक 510 दिनांक 20–12–2023 से नियमानुसार निर्धारित शूल्क राशि रु. 18/– जमा करा सूचना प्राप्त करने प्रार्थी को लिखा गया है।

चूकि अपीलार्थी को उनके प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन** ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3)(क) के तहत पत्रांक 510 दिनांक 20–12–2023 से नियामानुसार निर्धारित शूल्क राशि रु. 18/– जमा करा सूचना प्राप्त करने अपीलार्थी को सूचित किया गया है। **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) छोटीसरवन** को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ओर से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमाकोष कराने पर सूचना उपलब्ध कराई जावे। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.05 13:27:41 IST
Reason: SelfAttested